(Tax - Revenue & Non Tax Revenue)

B.A. Part 2
Paper IVth

★ कर राजस्व (Tax Revenue)

संघ सूची में 100 अंदराज/ प्रविष्टियाँ (entries) हैं, जिनमें से निम्नलिखित केन्द्र सरकार के कर राजस्व की मदें हैं -

1. कृषि-भिन्न आय पर कर (इंदराज 82);
2. सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित (इंदराज 83);
3. भारत में उत्पादन अथवा निर्मित तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क (excise duty) सिवाय
(क) मानवीय उपभोग के लिए शराब (alcoholic liquor) के, तथा
(ख) अफ़ीम देशी भाँग तथा अन्य नशीली औषधियों एवं मादक पदार्थों के (परंतु ऐसी औषधीय और प्रसाधन सामग्रियों को छोड़कर जिनमें इन पदार्थों का प्रयोग किया गया हो) (इंदराज 84);
4. निगम कर (corporation tax) (अर्थात कंपनियों की आय पर कर; ~~इसी~~ इसकी परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई है) (इंदराज 85);
5. कृषि भूमि को छोड़कर, व्यक्तियों और कंपनियों की परिसंपत्तियों के पूँजी मूल्य पर कर, कंपनियों की पूँजी पर कर (इंदराज 87);
6. कृषि भूमि को छोड़कर, अन्य संपत्ति पर संपदा कर (estate duty) (इंदराज 87);
7. कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर अर्थांतरण (succession) कर (इंदराज 88);
8. रेलवे, सागर तथा वायु यातायात से जाने वाले यात्रियों और वस्तुओं पर अंतस्थ कर (Terminal taxes); रेल के किरायों और भाड़ों पर कर (इंदराज 89);
9. स्टॉक एक्सचेंजों और आगामी मंडियों (Future markets) में होने वाले सौदों पर स्टाम्प शुल्कों को छोड़कर अन्य कर (इंदराज 90);
10. विनिमय पत्रों (bills of exchange) चैकों, प्रोनोटों (प्रामिस्सरी नोटों), लदान पत्रों (bills of loading), साख पत्रों (letters of credit) तथा बीमा पालिसियों, शेयरों, ऋण ~~पत्र~~ पत्रों (debentures), प्रतिपत्रों (proxies) और रसीदों के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क की दरें (इंदराज 91);
11. सामाचार-पत्रों के क्रय-विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों, तथा रेडियो और ~~टे~~ टेलीविजन पर ~~प्रसारि~~ प्रसारित विज्ञापनों पर कर (इंदराज 92);
12. सामाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर, कर जब यह क्रय-विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के कारण हो (इंदराज 92-A);

Scanned by CamScanner

13. व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए वस्तुओं के अंतर्राज्यीय प्रेषण (consignments) पर कर (इंदराज 92-B);

14. सेवाओं पर कर (इंदराज 92-C);

15. इस सूची से संबंद्ध मामलों पर ली फ़ीसें जो किसी न्यायालय में न ली गई हों (इंदराज 96);

16. सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में ली गई फ़ीसें (इंदराज 134);

17. कोई भी अन्य कर जिसका वर्णन राज्य सूची अथवा सहवर्ती सूची में न हो।

★ (Non-Tax Revenue) कर-भिन्न राजस्व

केन्द्रीय सरकार के कर-भिन्न राजस्व में निम्नलिखित मदें शामिल हैं-

1. उधार-संविधान के अनुच्छेद 292 के अंतर्गत भारत सरकार भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) की आवश्यकता (guarantee) के आधार पर देश के अंदर से तथा विदेशों से उधार ले सकती है। इस संदर्भ में संसद को अपनी इच्छानुसार ऋण की मात्रा को सीमाबद्ध करने का अधिकार है।

2. उद्यम तथा स्वत्वाधिकार - इस वर्ग में करेंसी, सिक्का निर्माण तथा टकसाल, भारतीय रिज़र्व बैंक, रेलवे, डाक-तार तथा अन्य वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक उद्यम, तथा लाटरियों आदि से होने वाली आय शामिल है।

3. प्रशासनिक कार्यकलाप तथा आधिपत्य (Sovereign Rights) - इन प्राप्तियों के उदाहरणों में (क) सरकारी संपत्ति से आय, (ख) व्यपगमन (lapses) तथा राजगमन (escheat) से मिलने वाली आय तथा अथवा संपत्ति, (ग) युद्धक्षति पूर्ति (war indemnities) (घ) तथा अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात आदि से होने वाली आय आदि शामिल हैं।

Scanned by CamScanner